कार्यालय नगर पंचायत चितबडागॉव–बलिया

पत्रांक 87 /न0प0चि0/नीलामी सूचना/(2014–2015) दिनांक 23-3-2015

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत चितबडागॉव के पार्किंग शुल्क (टैक्सी स्टैण्ड) ठेका वर्ष 2015–2016 की नीलामी दिनांक 30.03.2015 को अपरान्ह 1:00 बजे दिन में कार्यालय नगर पंचायत चितबडागॉव में की जायेगी, यदि उक्त तिथि को नीलामी नहीं हो सकी तो दिनांक 31.03.2015 को होगी, यदि दिनांक 31.03.2015 को भी नीलामी न हो सकी तो दिनांक 02.04.2015 को होगी।

अतः पार्किंग शुल्क/टैक्सी स्टैण्ड वर्ष 2015–2016 का ठेका लेने वाले व्यक्ति का निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर निम्नलिखित शर्तो के अधीन ठेका नीलामी मे भाग लें सकते है।

ठेका नीलामी की शर्ते

1. ठेके की अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक होगी।
2. ठेका नीलामी में भाग लेने से पूर्व ठेकेदारों को रू0 25,000.00 नगद जमानत धनराशि जमा करना होगा।
3. ठेकेदार को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी पॉच लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके नाम से हैसियत व चरित्र प्रमाण –पत्र होगा वही व्यक्ति अपने एक सहयोगी के साथ नीलामी में भाग लेगा। यदि किन्ही कारणवश हैसियत व चरित्र प्रमाण– पत्र वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले पाता है तो पंजीकृत मोख्तार खास द्वारा अधिकृत व्यक्ति नीलामी में भाग ले सकता है।
4. ठेकेदार नगर पंचायत चितबडागॉव का बाकीदार नहीं होना चाहिये।
5. ठेकेदार को बोली नीलामी के समय अधिकतम पच्चीस हजार एवं न्यूनतम पॉच हजार रूपये से कम के अन्तराल को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. नीलामीकर्ता अधिकारी द्वारा उच्च बोली स्वीकृत के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण नीलामी धनराशि का 50% नगद जमा करना होगा। यदि निर्धारित अवधि तक 50% धनराशि जमा नहीं किया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। शेष 50% धनराशि प्रतिमाह समान किश्तो में फरवरी 2016 तक जमा करना होगा।
7. जमानत धनराशि रूपये 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का समायोजन अंतिम किश्त में होगा।
8. ठेकेदार को ठेके की वसूली उपविधि में निर्धारित दर उसके नियमों एवं शर्तो के अधीन करनी होगी।
9. ठेकेदार को नगर पंचायत के पक्ष में अपने व्यय से शासन द्वारा निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा तथा निर्धारित दर से स्टैम्प शुल्क जमा करना होगा।
10. नीलामीकर्ता अधिकारी को अधिकार होगा कि नीलामी की किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त अथवा स्थगित कर दें। शेष अन्य नियम एवं शर्ते किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत चितबडागॉव, बलिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत चितबडागॉव, बलिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत चितबड़ागॉव
बलिया

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय बलिया।
2. प्रभारी अधिकारी महोदय बलिया को इस अनुरोध के साथ कि नीलामी के दिन शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के संबंध में।
3. उपजिलाधिकारी सदर बलिया।
4. नगर पंचायत के नोटिश बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी महोदय, एन.आइ.सी. बलिया को इस आशय से प्रेषित कि अपने वेवसाइट पर विज्ञापित करने का कष्ट करें।
6. सहायक सूचना निदेशक महोदय बलिया को इस आशय से दो प्रतियो के साथ प्रेषित कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करा कर बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

23/3/15

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत चितबडागॉव, बलिया

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत चितबड़ागॉव
बलिया